रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012023-242001 CG-DL-E-16012023-242001

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] No. 25] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 26(अ).— राष्ट्रपित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल (उप मुख्य राजभाषा अधिकारी) भर्ती नियम, 1994, भारतीय रेल (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1976 और भारतीय रेल (सहायक हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के राजभाषा विभाग में समूह 'क' की भर्ती की पद्धित को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल राजभाषा विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना** ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

366 GI/2023 (1)

- 3. **पद-संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं अदि. –उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) मे विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता. –** वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति. –जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
1. उप महाप्रबंधक (राजभाषा)	9* (2023)	रेल सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
4	5	6	7
स्तर-12	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(Rs. 78800-209200/-)			

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 % प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रुपए) में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड – अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।
टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के ग्रेड में पदधारी को राजभाषा के क्षेत्र में न्यूनतम छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, या तो प्रोन्नित से पूर्व या प्रोन्नित से एक वर्ष की अविध के भीतर, जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किया गया हो।	2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा दो बोर्ड सदस्यों को नामित किया जाना है –सदस्य;	
टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
2. वरिष्ठ राजभाषा	29* (2023)	रेल सेवा समूह 'क', राजपत्रित
अधिकारी	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय
	सकता है।	

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
4	5	6	7
स्तर-11	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(67700-208700 रुपए)			

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	कोई चो।	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 % प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो	भर्ती करने में किन
में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिुक्ति/आमेलन	उसकी संरचना।	परिस्थितियों में
किया जाना है।		संघ लोक सेवा
		आयोग से परामर्श
		किया जाएगा।
11	12	13
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा
रुपए) में राजभाषा अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्टिक्स	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में	आयोग से परामर्श
में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में 5 पांच	" निम्नलिखित होंगे:-	किया जाना
वर्ष की नियमित सेवा की हो।		आवश्यक नहीं है।
टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-	(i) मुख्य राजभाषा अधिकारी	
1,77,500/- रुपए) में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी	(वरिष्ठ उप महाप्रबंधक	
के ग्रेड में पदधारी को राजभाषा के क्षेत्र में न्यूनतम	से इतर) – सदस्य।	
छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना		
होगा, या तो प्रोन्नति से पूर्व या प्रोन्नति से एक वर्ष	(ii) कार्मिक विभाग के	
की अवधि के भीतर, जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा	उच्चतर प्रशासनिक	
	ग्रेड या वरिष्ठ	
समय-समय पर यथा निर्धारित किया गया हो।	प्रशासनिक ग्रेड स्तर	
टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-	के अधिकारी – सदस्य;	
1,77,500/- रुपए) में राजभाषा अधिकारी के रूप		

में पद के पुन:पदनामित और उन्नयन पद से पूर्व इन भर्ती नियमों की अधिसचना की तारीख पर नियमित आधार पर वेतन मैटिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रुपए) में भारतीय रेल के राजभाषा विभाग के राजभाषा अधिकारी के पद के विद्यमान पदधारक द्वारा की गई नियमित सेवा को वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा। वेतन मैटिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रुपए) में राजभाषा अधिकारी के पद पर उनके उन्नयन होने पर. वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए इन पदधारियों की पात्रता सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में राजभाषा अधिकारी के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा या राजभाषा अधिकारी. वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रुपए) और राजभाषा अधिकारी, वेतन मैटिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रुपए) की श्रेणियों में आठ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा होगी, जो भी पहले हो।

मानक टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- (iii) ऊपर क्रम सं. (i) और
  - (ii) में सूचीबद्ध विभागों को छोड़कर किसी विभाग के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी – सदस्य

टिप्पण: यदि कार्मिक विभाग के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी की भूमिका निभाते हैं तो संबंधित रेलवे या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा अन्य विभागाध्यक्ष को नामित किया जाएगा।

इनमें से वरिष्ठतम अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
3. राजभाषा अधिकारी	70* (2023)	रेल सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	स्तर-10
		अनुसचिवीय।	(56,100-1,77,500
	* कार्यभार के आधार		रुपए)।
	पर परिवर्तन किया जा		
	सकता है।		

चयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।
अथवा अचयन पद (5)	(6)	(7)
चयन पद	्रेंतीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्य:
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए 5 वर्ष तक की छूट)	(I) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या
	टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या
	तारीख होगी।	(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम हो; अथवा
		(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हो और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम हो; अथवा
		(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर हिंदी एवं अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो;
		(II) (i) केंद्र या राज्य सरकार या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग या अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी या विलोमत: अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव हो जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक साहित्य को वरीयता दी जाएगी; या
		(ii) केंद्र या राज्य सरकार या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय: संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा का मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं स्तर पर अध्ययन किया हो।
टिप्पण 1: यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हक है तो अर्हता में संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय से छूट दी जा सकती है, जिसके लिए लिखित में कारण रिकॉर्ड किए जाएं।
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अराक्षित रिक्तियों
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यिद कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और
		(ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11) <b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्टिक्स में स्तर-7 (44900-	(12) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति	(13) संघ लोक सेवा
142400 रुपए) में भारतीय रेल के राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुवादक, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा की हो।	पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-	आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।
टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में वरिष्ठ अनुवादक की श्रेणी में पदधारी को राजभाषा के क्षेत्र में न्यूनतम छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, या तो प्रोन्नित से पूर्व या प्रोन्नित से एक वर्ष की अविध के भीतर, जैसा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।	(i) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य — अध्यक्ष;  (ii) कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण), रेलवे बोर्ड — सदस्य;  (iii) प्रबंधन सेवाओं या स्थापना निदेशालय,	

टिप्पण 2: पात्रता सेवा, इन नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख पर नियमित आधार पर वरिष्ठ अनुवादक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रुपए) के पदधारकों के लिए तीन वर्ष की ही रहेगी।

टिप्पण 3: इन नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47600-151100/- रुपए) वाले मौजूदा राजभाषा अधिकारी (समूह ख) की दशा में उन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500/-रुपए) राजभाषा अधिकारी (समूह क) की श्रेणी में रखने की उपयुक्तता का आकलन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

मानक टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक – सदस्य।

समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (i) मुख्य राजभाषा अधिकारी(वरिष्ठ उप महाप्रबंधकको छोड़कर)– सदस्य;
- (ii) कार्मिक विभाग के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रे ड स्तर के अधिकारी – सदस्य:
- (iii) ऊपर क्रम सं. (i) एवं

  (ii) पर सूचीबद्ध विभागों

  के अतिरिक्त किसी
  विभाग के उच्चतर
  प्रशासनिक ग्रेड या
  वरिष्ठ प्रशासनिक
  ग्रेड स्तर के अधिकारी सदस्य

टिप्पण: यदि कार्मिक विभाग के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड या वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी मुख्य राजभाषा अधिकारी की भूमिका निभाते हैं तो संबंधित रेलवे या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा अन्य विभागाध्यक्ष को नामित किया जाएगा।

इनमें से वरिष्ठतम अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा।

[फा. सं. 2018/ई(जी)आरआर/24/1]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (Railway Board)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2023

- G.S.R. 26(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railway (Deputy Chief Rajbhasha Adhikari) Recruitment Rules, 1994, the Indian Railway (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1976 and the Indian Railways (Assistant Hindi Officer) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Official Language Department of the Indian Railways, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Indian Railways Official Language Department (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.** These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of post, classification and level in the pay matrix**. The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Deputy General	9* (2023)	Railway Service, Group	Level- 12
Manager (Rajbhasha)		'A', Gazetted, Ministerial.	
	* Subject to variation dependent on workload		(Rs. 78800-209200)

Whether selection post or	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required
non-selection post.	-	for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	100 % by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Rajbhasha Adhikari in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission not
Note 1: The incumbents in the grade of Senior Rajbhasha Adhikari in level-11(Rs. 67700-208700) in the pay matrix are required to successfully complete training of at least six weeks in the field of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways from time to time, either before	Chairman and Chief     Executive Officer,     Railway Board – Chairman;      Two Board Members	necessary.
promotion or within a period of one year from promotion.  Note 2: Where juniors who have completed their	to be nominated by Chairman and Chief Executive Officer,	
qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Railway Board -Members;	

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Senior Rajbhasha	29* (2023)	Railway Service, Group 'A',	Level -11
Adhikari	* Subject to variation	Gazetted, Ministerial.	
	dependent on workload		(Rs. 67700-208700)

Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct
qualifications prescribed for direct		recruitment or by promotion or by deputation/
recruits will apply in the case of		absorption and percentage of the posts to be
promotees.		filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 % by promotion

In case of recruitment by promotion or If a Departmental Promotion Committee exists, Circumstances in deputation/ absorption, grades from what is its composition. which Union which promotion deputation/ Public Service or absorption to be made. Commission is to be consulted in making recruitment. (11)(12)(13)Rajbhasha Adhikari in level - 10 Group 'A', Departmental Promotion Committee Consultation with (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix (for considering promotion) consisting of:-Union Public with five years regular service in level-Service 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay Commission not (i) Mukhya Rajbhasha Adhikari matrix. necessary. (other than Senior Deputy General Manager) – Member: Note 1: The incumbents in the grade of Raibhasha Adhikari in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix (ii) Higher Administrative are required to successfully complete Grade or Senior Administrative Grade level Officer of training of at least six weeks in the field Personnel Department – Member: of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways from time to (iii) Higher Administrative time, either before promotion or within a Grade or Senior period of one year from promotion. Administrative Grade level Officer of any Department **Note 2:** The regular service rendered by the existing incumbents holding the post other than the Departments listed at serial number (i) of Rajbhasha Adhikari of the Official and (ii) above - Member Language Department of Indian Railways in level-8 (Rs.47600-151100) Note: In case the Higher Administrative Grade or in the pay matrix on regular basis on the Senior Administrative Grade level Officer of date of notification of these recruitment Personnel Department is functioning as Mukhya rules, prior to re-designation and Rajbhasha Adhikari, another Head of Department upgradation of the post as Rajbhasha shall be nominated by the General Manager of the (Rs.56,100-Adhikari in level-10 concerned Railway or Production Unit. 1,77,500) in the pay matrix, shall also be counted as qualifying service for The senior most of them will function as the promotion to the post of Senior Chairman of the Selection Committee. Rajbhasha Adhikari. their On upgradation to the post of Rajbhasha Adhikari in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix, eligibility service for these incumbents for promotion to the post of Senior Rajbhasha Adhikari shall be five years regular service in the grade of Rajbhasha Adhikari in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or eight years of combined regular service in the grades of Rajbhasha Adhikari, level-8(Rs. 47600-151100) in the pay matrix and Rajbhasha Adhikari, level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix, whichever is earlier. Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility

service by more than half of such

qualifying or eligibility service or two	
years, whichever is less, and have	
successfully completed their probation	
period for promotion to the next higher	
grade along with their juniors who have	
already completed such qualifying or	
eligibility service.	

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Rajbhasha Adhikari	70* (2023)	Railway Service, Group A,	Level-10
		Gazetted, Ministerial.	(Rs. 56,100-1,77,500).
	* Subject to variation		
	dependent on workload		

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding thirty five	Essential:
years (Relaxable for government servant up to	(I) (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	
	orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for	(ii) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
	determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	(iii) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
		(iv) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or
	(v) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;	
		(II) (i) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and Translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or
	(ii) Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.	
	<b>Desirable:</b> Studied one of the languages other than Hindi included in the eight schedule of the Constitution at tenth level from a recognised Board.	

<b>Note 1:</b> Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
<b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational	Period of probation, if	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	
qualifications prescribed for	any	promotion or by deputation/ absorption and percentage of	
direct recruits will apply in the		the posts to be filled by various methods.	
case of promotees.			
(8)	(9)	(10)	
No	One year	(i) By promotion- Seventy Five per cent; and	
		(ii) By direct recruitment - Twenty Five per cent	

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Translator of Official	Group 'A', Departmental Promotion Committee	Consultation
Language Department of Indian Railways in	(for considering promotion) consisting of:-	with Union
level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years regular service in the grade.  Note 1: The incumbents in the grade of Senior Translator in level-7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix are required to successfully complete training of at least six weeks in the field of Official Language as prescribed by the Ministry of Railways from time to time, either before promotion or within a period of one year from promotion.	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman;  (ii) Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board — Member;  (iii) Executive Director of Management Services or Establishment Directorate, Railway Board — Member.	Public Service Commission necessary.
Note 2: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Senior Translator, level 7(Rs. 44900-142400) in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules.  Note 3: In case of the existing Rajbhasha Adhikari (Group B) in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix, on the date of	Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (i) Mukhya Rajbhasha Adhikari	

notification of these rules, suitability for placing them in the grade of Rajbhasha Adhikari (Group A) in level-10(Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix shall be assessed in consultation with the Union Public Service Commission.

Standard Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- (ii) Higher Administrative
   Grade or Senior
   Administrative Grade
   level Officer of
   Personnel Department Member;
- (iii) Higher Administrative
  Grade or Senior
  Administrative Grade
  level Officer of any
  Department other than the
  Departments listed at
  serial number (i)
  and (ii) above
   Member.

**Note:** In case the Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level Officer of Personnel Department is functioning as Mukhya Rajbhasha Adhikari, another Head of Department shall be nominated by the General Manager of the concerned Railway or Production Unit.

The senior most of them will function as the Chairman of the Selection Committee.

[F. No. 2018/E(G)RR/24/1]

ANVITA SINHA, Executive Director, Establishment (Gazetted Cadre )